

जिला



सत्यमेव जयते

गजट

झारखण्ड सरकार

द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 38

रामगढ़ दिन : शनिवार

दिनांक 08.08.2015

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी

अधिघोषणा

विषय सूची

अधिघोषणा

पृष्ठ संख्या 01

प्रपत्र VII
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या
समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 528/भू0अ0. रामगढ़, दिनांक 08.08.2015

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना 22 कोर्ट एवं समाहरणालय भवन के पहुँच पथ निर्माण हेतु ग्राम छत्तरमाण्डू थाना रामगढ़, थाना सं0 116, अंचल रामगढ़, जिला रामगढ़ में कुल 0.40 एकड़ यानि 0.1619 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.40 एकड़ यानि 0.1619 हेक्टेयर है, और जो ग्राम छत्तरमाण्डू थाना रामगढ़, थाना सं0 116, अंचल रामगढ़, जिला रामगढ़ में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	86	2845	रैयती	कृषि	0.11	1) ललीता सालनी पति प्रदीप कुमार गुप्ता, रामगढ़। 2) लक्ष्मी रानी पति धनेश्वर साव, रामगढ़।	3314 अंश	NH-23	2845 अंश	2845 अंश
2	112	2847	रैयती	कृषि	0.29	1) पुनीत सिंह वो पुरन सिंह वो चुरन सिंह पिता स्व0 घाना सिंह 2) गिरजा सिंह पिता स्व0 अकल सिंह	3314 अंश	NH-23	2847 अंश	2845 अंश
कुल रकबा					0.40	(चालीस डिसमिल)				

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या- 30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

ह0/-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
रामगढ़।

ह0/-
अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

ह0/-
उपायुक्त,
रामगढ़।